189

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्रीं एम0के0 सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 1045 – तीन/2011 विरूद्व आदेश दिनांक 16–6–2011 – पारित व्दारा अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 130/2010–11 अपील

देवकी नन्दन गर्ग पुत्र सुगनलाल
ग्राम बीरपुर तहसील बीरपुर जिला श्योपुर ———अपीलॉट

विरूद्व

1– रामबाबू 2– नागेन्द्र मोहन
3– दिसम्बर 4– सुरेन्द्र कुमार
चारों पुत्रगण बॉकेलाल बैश्य निवासी
बेरपुर तहसील बीरपुर जिला श्योपुर
5– मध्य प्रदेश शासन ———रिस्पाण्डेन्टस्

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एल0एस0धाकड़)
(रिस्पा0क0–5 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(रिस्पा0क0–1 से 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 130/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–2011 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर श्योपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत मांग रखी कि ग्राम स्यारदा की भूमि सर्वे कमांक 363 रकबा 11 विसवा

का वह भूमिस्वामी है तथा 4 विसवा का भूमिस्वामी बॉकेलाल बैश्य है। बंदोवस्त के वाद सर्वे कमांक 363 का सर्वे कमांक 712 बना है जिसके नजदीक सर्वे नंबर 711 (बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे कमांक 330) स्थित है किन्तु नक्शा बनाते समय राजस्व नक्शे में परिवर्तन कर दिया है एंव उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया है, बंदोवस्त के वाद नक्शा में आकृति बदलने से विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिये नक्शा सुधार कर पूर्ववत् किया जावे। कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण कमांक 40/2009–10 बी 121 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 19–4–2011 पारित करके नक्शा दुरूस्ती का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 130/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–6–11 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 से 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलिक्षत है कि अपीलांट ने कलेक्टर श्योपुर से आवेदन देकर मांग यह की है कि ग्राम स्यारदा की भूमि सर्वे कमांक 363 रकबा 11 विसवा का वह भूमिस्वामी है तथा 4 विसवा का भूमिस्वामी बॉकेलाल बैश्य की है। बंदोवस्त के वाद सर्वे कमांक 363 का सर्वे कमांक 712 बना है जिसके नजदीक सर्वे नंबर 711 (बंदोवस्त के पूर्व का सर्वे कमांक 330) स्थित है किन्तु नक्शा बनाते समय नक्शे में परिवर्तन कर दिया है इसलिये नक्शे में सुधार कर दिया जावे। अपीलांट की इस मॉग पर कलेक्टर श्योपुर ने अधीक्षक भू अभिलेख को मौके पर वास्तविक स्थिति जॉचने हेतु भेजा है । अधीक्षक भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय श्योपुर का प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

> **" दिनांक 9–7–12 को ग्राम श्यारदा के सर्वे नंबर 712 की जांच आवेदक एंव अनावेदकगणों , मौजा पटवारी एंव राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति में की गई। सर्वे नंबर 712 की तरमीम वर्तमान नक्शे में**

त्रृटिपूर्ण है। स्थल पर सर्वे नंबर 712/1 एंव 721/1 रकबा 0.15 है जो सॅशोधित नक्शे में लालस्चाही से दर्शाया गया है, के अनुसार है। नक्शा निर्माण के समय सर्वे नंबर 712 की तरमीम सर्वे नंबर 714 तक होना थी , जो स्थल पर वर्तमान में है किन्तु सर्वे नंबर 714 नाला से उसका हिस्सा न लगाते हुये सर्वे नंबर 721 रास्ता में सम्मिलित कर दिया गया है। इसी प्रकार सर्वे नंबर 712/2, 712/3, सर्वे नंबर 722 रास्ते का हिस्सा था वह खाते में सम्मिलित कर दिया है ।"

इस जॉच प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19—4—11 में निष्कर्ष दिया है कि आवेदक अपनी भूमि को सड़क एंव 714 व 715 के बीच में समानान्तर (पेरेलल) लेना चाहता है ताकि उसकी भूमि की बेल्यू बड़ जावे एंव 714 एंव 715 का रास्ता ही बंद हो जाये जो कि उचित नहीं है। अतः आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। कलेक्टर के इसी निष्कर्ष से अपर आयुक्त सहमत ने सहमत होकर आदेश दिनांक 16—6—2011 पारित किया है। विचार योग्य है कि जब अधीक्षक भू अभिलेख मौके की जॉच कर सर्वे नंबर 712 की तरमीम वर्तमान नक्शे में त्रृटिपूर्ण होना एंव स्थल पर सर्वे नंबर 712/1 एंव 721/1 रकबा 0.15 है जो सॅशोधित नक्शे में लालस्चाही से दर्शाया गया है, के अनुसार है। नक्शा निर्माण के समय सर्वे नंबर 712 की तरमीम सर्वे नंबर 712 तक होना थी , जो स्थल पर वर्तमान में है किन्तु सर्वे नंबर 714 नाला से उसका हिस्सा न लगाते हुये सर्वे नंबर 721 रास्ता में सम्मिलित कर दिया गया है। इसी प्रकार सर्वे नंबर 712/2, 712/3, सर्वे नंबर 722 रास्ते का हिस्सा था वह खाते में सम्मिलित करना बता रहे है स्पष्ट है कि बंदोवस्त के समय सर्वे नंबर 713 की तरमीम त्रृटिपूर्ण की है एंव सर्वे नंबर 714 नाला से उसका हिस्सा न लगाते हुये सर्वे नंबर 721 रास्ता में सम्मिलित करने की त्रृटि की गई है और जब यह त्रृटियॉ जॉच के दौरान स्पष्ट हो चुकी है तब कलेक्टर व्दारा अधीक्षक भू अभिलेख के स्थल पर की जॉच एंव बंदोवस्त के नक्शे से भूमि का मिलान करने पर त्रृटियॉ दर्शा दी गई , तब अधीक्षक भू अभिलेख के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही पर विचार न करते हुये एंव बंदोवस्त के दौरान

नक्शा निर्माण की त्रृटियों पर ध्यान न देते हुये वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकाल कर आदेश दिनांक 19—4—11 पारित करना पाया गया है तथा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 130/2010—11 अपील में आदेश दिनांक 16—6—2011 पारित करते समय उक्त पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखा जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 130/2010—11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—6—2011 तथा कलेक्टर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 40/2009—10 बी 121 में पारित आदेश दिनॉक 19—4—11 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर श्योपुर की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है वह वाद विचारित भूमि के ई0टी0एम0 मशीन से सीमांकन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख के नेतृत्व में दल गठित करें तथा पुराने नक्शा एंव बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे अनुसार उक्त सर्वे नंबरान की भूमियों को चिन्हित कराते हुये पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर